समाहरणालय, सिवान

जिला आपदा प्रबंधन शाखा

पत्रांक................................../ आ0 प्र0

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
सिवान।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन–संपर्क विभाग,
बिहार, पटना।

सिवान, दिनांक ..../2017

विषय :– संभावित बाढ़ वर्ष 2017 हेतु नावों के क्रय संबंधी अत्यावश्यक अल्पकालीन निविदा प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित अल्पकालीन निविदा की पाँच प्रतियाँ (सी0 डी0 सहित) संलग्न कर भेजी जा रही है, जिसका प्रकाशन प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों में अविलंब करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
सिवान।

ज्ञापांक ..../आ0प्र0, दिनांक ..../2017

प्रतिलिपि :– जिला जन संपर्क पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं सिवान जिला के अधिकारिक बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उपायुक्त वाणिज्य कर विभाग, सिवान/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सिवान/ जिला लेखा पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक, सिवान को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दिनांक 16.08.2017 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में दिन के 3.00 बजे आहूत क्रय समिति की बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को अल्पकालीन निविदा सूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर अपने जिला में निविदा की सूचना का प्रचार–प्रसार करवाने की कृपा की जाय।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
सिवान।

ज्ञापांक ...538.../आ0प्र0, दिनांक 9.8./2017

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ समर्पित।

9/8/17

जिला पदाधिकारी,
सिवान।

समाहरणालय, सिवान

(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

अल्पकालिक निविदा सं0–1

वर्ष 2017 में संभावित बाढ़ से निपटने एवं आवागमन सुचारू रूप से कायम रखने तथा प्रभावित परिवारों एवं विस्थापित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने हेतु नावों की आवश्यकता के मद्देनजर नावों की आपूर्त्ति करने के लिए मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्त्तिकर्त्ता नावों की गुणवत्ता एवं राशि सहित विवरण सीलबंद कर जिला आपदा प्रबंधन शाखा, सिवान में दिनांक 16.08.2017 के अपराह्न 1.00 बजे तक जमा कर सकते है। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। निविदा के रूप में तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा सभी कागजातों के साथ अलग–अलग शील्ड लिफाफा में जमा करना होगा।

क्र0	सामग्री का नाम	साईज	विशिष्टियाँ	अन्य विवरण
1	मझोली नाव	25'X07'X02'	25 फीट लंबा, 7 फीट चौड़ा, 2 फीट ऊँचा, लकड़ी की मोटाई 1 इंच (पेंदा का लकडी, जामुन का असरा रहित, साईड पटरा पतवार आदि सखुआ की लकड़ी असरा रहित का पलास्टिक रस्सी एवं लंगर सहित)	दर प्रति नाव (आपूर्त्ति स्थल तक पहुँचाकर)

तकनीकी निविदा :–

1. जमानत की राशि हेतु जिला पदाधिकारी, सिवान के पक्ष में मो0 15000.00 (पंद्रह हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।
2. VAT नं0 के साथ वित्तीय वर्ष 2015–16 का वार्षिक विवरणी देना होगा।
3. वित्तीय वर्ष 2015–16 का 40 लाख का अद्यतन तीन वर्षों का टर्न ओवर से संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा।
4. तकनीकी निविदा योग्य पाये जानेवाले निविदाओं का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
5. निविदा के साथ MSME का उद्योग आधार संलग्न करना होगा।
6. तकनीकी निविदा के साथ वाणिज्य कर विभाग का निबंधन एवं GST निबंधन कर प्रमाण पत्र/ आयकर विभाग द्वारा निर्गत PAN कार्ड की छाया प्रति, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा एवं तीन वर्षों का आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा।
7. अन्य जिलों में आपूर्त्ति का साक्ष्य। (कम से कम 100 नावों का)
8. निविदादाता का प्रतिष्ठान काली सूची में दर्ज नहीं है, इस आशय का शपथ पत्र।

वित्तीय निविदा :– तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।

9. निविदा के वित्तीय लिफाफा में प्रति नाव की दर सभी कर सहित अंकित करना होगा।

अन्य शर्तें :–

10. स्वीकृत किये गये नमूना एवं गुणवत्ता के अनुरूप नाव की आपूर्त्ति नहीं किये जाने पर आपूर्त्तिकर्त्ता के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुये आपूर्त्ति किये गये नावों का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।

11. सफल निविदादाता को कार्यादेश के पूर्व वाणिज्य कर विभाग से स्वच्छता प्रमाण पत्र देना होगा।

12. नाव की आपूर्त्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।

13. बिना कारण बताये निविदा स्थगित करने/ रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

14. किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

15. न्यूनतम दर पर नाव की आपूर्त्ति हेतु एक से अधिक फर्मों को आदेश देने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

16. नाव की विशिष्टता की जांच, जांच समिति के तकनीकी पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी। जांच में विशिष्टता के अनुरूप पाये जाने वाले नाव को आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा गहनी एवं अलकतरा का कार्य करना होगा। साथ ही सभी नावों पर लोहे के प्लेट पर नावों की संख्या एवं अन्य विवरणी निदेशानुसार अंकित करना होगा। गहनी एवं अलकतरा की दर निविदा में सम्मिलित रहेगा।

17. स्वीकृत की गई निविदा के निविदादाता को उपरोक्त शर्त्तों के आधार पर तीन दिनों के अंदर इस आशय का एकरारनामा करना होगा कि आपूर्त्ति आदेश के 15 दिनों के अंदर नमूना के अनुरूप उचित संख्या, साईज, गुणवत्ता के अनुसार सिवान जिला के सभी अंचलों में नाव की आपूर्त्ति करनी होगी इसके लिए अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा।

18. आपूर्त्ति की गई नाव की बाहरी दिवाल पीले रंग के अघुलनशील पेंट से रंगा जायेगा ताकि ज्ञात हो सके कि वे सरकारी नाव है साथ ही उस पर काले रंग से आपदा प्रबंधन विभाग, क्र0सं0, अंचल का नाम एवं जिला का नाम अंकित रहेगा।

19. आपूर्त्ति की गई नावों की गुणवत्ता एवं विशिष्टता सत्यापन के पश्चात भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार **GST** एवं आयकर देना होगा। जिसकी कटौती एकमुश्त भुगतान के समय कर ली जायेगी।

निविदा की जानकारी सिवान जिले के बेवसाईट **www.siwan.bih.nic.in** पर भी देखी जा सकती है।

9/8/17

जिला पदाधिकारी,
सिवान।